


तारीख हुकम

18.01.21

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम मनोहरगढ पटवार हल्का ईटुन्दा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 987/18 कुल किता 01 रकबा 05.00 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 600 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 18.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहम्नपुर(भीलवाडा)

